अध्याय 15-ध्यान आकर्षण.

ध्यान आकर्षण के बारे में प्रक्रिया.

138. (1) कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेगा :

परन्तु कोई सदस्य एक बैठक के लिये ऐसी दो से अधिक सूचनाएं नहीं दे सकेगा.

(2) ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाय, कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु प्रत्येक सदस्य, जिनके नाम से कार्यसूची में वह मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा :

परन्तु कार्य सूची में तीन से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाये जायेंगे.

व्याख्या - (एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जायेगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता ने सूचना दी है.

(दो) पूर्वाह्न 9 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिये दिया गया समझा जायेगा.

(3) एक ही बैठक में दो से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे.

(4) एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को पूर्ववर्तिता दी जायेगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो.

(5) प्रस्तावित विषय प्रश्नों के बाद और कार्यसूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले उठाया जायेगा और सभा की बैठक के दौरान में अन्य किसी समय नहीं.

(6) वे सभी सूचनाएं जो उसी बैठक में नहीं ली गई है जिसके लिये कि वे दी गई थीं, उस बैठक की समाप्ति पर व्यपगत हो जायेंगी जब तक कि अध्यक्ष ने उन्हें किसी बाद की बैठक के लिये ग्रहीत न कर लिया हो.